रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268266
CG-DL-E-05122025-268266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947
No. 358] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
(बागवानी तकनीकी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2025

फा. सं.11/4/2025-बागवानी,तकनीक.II.भाग (1)—कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति (एनसीपीए) का मूल रूप से गठन वर्ष 1981 में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में किया गया था, जो वर्ष 1993 से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्य कर रहा है। इसका पुनर्गठन वर्ष 1996 में किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनाने और बागवानी में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित तरीके से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, एनसीपीएएच का वर्ष 2001 में राष्ट्रीय बागवानी प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच) के रूप में पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात्, एनसीपीएएच का गठन दिनांक 01.06.2019 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। वर्ष 2020 में, इस समिति को दिनांक 01.06.2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय सुनियोजित कृषि एवं बागवानी समिति (एनसीपीएएच) (जिसे आगे समिति कहा जाएगा) के तौर पर पुनर्गठित किया गया।

वर्तमान में यह निर्णय लिया गया है कि समिति का पुनर्गठन नीचे दी गई संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और संरचना के अनुसार किया जाएगा:

क. संरचना :

1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	- अध्यक्ष
2.	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य-
3.	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर)	- सदस्य-
4.	उप महानिदेशक (बागवानी), आईसीएआर	- सदस्य-
5.	वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य-
6.	प्रधान सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	- सदस्य-
7.	संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य-
8.	संयुक्त सचिव (आरएफएस), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य-
9.	अपर आयुक्त (बागवानी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य-
	चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	
10.	प्रधान सचिव (कृषि /बागवानी), तमिलनाडु सरकार	सदस्य
11.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), गुजरात सरकार	- सदस्य-
12.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	- सदस्य-
13.	प्रधान सचिव (कृषि / बागवानी) असम	- सदस्य-
	सदस्य सचिव	
14.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	- सदस्य सचिव

संदर्भ की शर्तें

i. कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स/एरोपोनिक्स, सौर ऊर्जा चलित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ऑटोमेशन तथा सेंसर आधारित प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि जैसे स्मार्ट/भविष्य में फार्मिंग होने वाले मॉडल का विकास करना तथा सुनियोजित कृषि के सन्दर्भ में उत्पादों की गुणवत्ता के मानको का विकास करना, कम लागत वाली प्रणाली के प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए उत्पाद/ घटक, निर्माताओं/प्रसंस्करको के साथ समन्वय करना।

ii. समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली जल संवर्धन, उर्वरक संवर्धन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, प्रयुक्त प्लास्टिकों की रीसाइक्लिंग के संदर्भ में स्थान-विशिष्ट परामर्शिकाओं का विकास करना एवं वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर तकनीकी परामर्श, फीडबैक प्रदान करना।

iii. देश में सुनियोजित कृषि एवं बागवानी का विकास करने हेतु अर्धोपाय का सुझाव देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, प्लास्टिक इंजीनियरिंग संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों के संसाधनों को मिला करके सुनियोजित कृषि पद्धतियों के सन्दर्भ में अग्रणी प्रौद्योगिकियों का वैधीकरण करना।

iv. अनुप्रयुक्त अनुसन्धान, प्रदर्शनों विस्तार और प्रसार को प्रोत्साहित एवं पुन: सत्यापित करना तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित सुनियोजित कृषि विकास केंद्र के माध्यम से सुनियोजित कृषि, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा प्लास्टिक

इंजीनियरिंग के क्षेत्र मे अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच उपयोगकर्ता-हितैषी मौसम/फसल आधारित कृषि-जलवायु विभेदित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, पहचान करना तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार शोध कर प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार करना।

v. नीतिगत उपायों हेतु देशभर के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त कृषि सवस्त्र-हित प्लास्टिक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों का संकलन एवं आंकड़ा इकठ्ठा करके सुनियोजित कृषि पर प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन तथा कृषि कार्यक्रमों का संचालन करना।

एनसीपीएएच की अवधि संकल्प जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी| अध्यक्ष की सहमति से गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे| समिति के बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जायेगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी| समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी|

समिति को अपेक्षित अनुसचिवीय सहायता बागवानी तकनीकी प्रभाग और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के द्वारा दी जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा एनसीपीएच के दैनिक कार्यकर्ताओं की निगरानी की जाएगी और यह निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव) के रूप में कार्य करेंगे|

पदेन सदस्य के संबंध में होने वाले व्यय का वहन उनका अपना विभाग करेगा।

डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

(HORTICULTURE TECHNICAL DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2025

F. No. 11/4/2025-Hort.,-Tech.II.Part (1)—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture & Farmer's Welfare since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications in Horticulture, NCPAH was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was constituted on 01.06.2019 for a period of three years. In 2020, the name of the committee was changed as National Committee on Precision Agriculture & Horticulture (NCPAH). The committee was reconstituted on 01.06.2022 as National Committee on Precision Agriculture & Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred as the Committee) under the Department of Agriculture & Farmers Welfare.

Now it has been decided to reconstitute the committee as per following Terms of Reference (ToR) and composition:

A. Composition:

1.	Union Agriculture & Farmers Welfare Minister	- Chairman
2.	Secretary, DA&FW	- Member
3.	Secretary (DARE) & DG (ICAR)	- do -
4.	Dy. Director General (Hort.), ICAR	- do -
5.	Financial Advisor, DA&FW	- do -

6.	Principal Advisor (Agri.), Niti Aayog	- do -
7.	Joint Secretary (MIDH), DA&FW	- do -
8.	Joint Secretary (RFS), DA&FW	- do -
9.	Additional Commissioner (Hort.), DA&FW	- do -
	Representatives of four State Governments	
10.	Principal Secretary (Agri./Hort.), Govt. of Tamil Nadu	Member
11.	Principal Secretary (Agri./Hort.), Govt. of Gujarat	- do -
12.	Principal Secretary (Agri./Hort.), Ladakh (U.T.)	- do -
13.	Principal Secretary (Agri./Hort.) Assam	- do -
	Member Secretary	
14.	Horticulture Commissioner, DA&FW	- Member Secretary

Terms of Reference

I. To develop smart/ future farming model such as Vertical farming, Hydroponics/ Aeroponics, Solar powered Integrated Micro Irrigation System, Automation and Sensor based technologies, Artificial Intelligence etc. in agriculture & horticulture and coordinate with product/ component manufacturers/ processors for developing quality standards on products w.r.t precision farming, Developing technology with reduce system cost.

II. To develop site-specific advisories w.r.t water savings, fertilizer savings, wastewater management, recycling of plastics used in Agri. Sector through dedicated web-portal and to provide technical consultation, feedback on real time basis.

III. To suggest ways and means for promotion of Precision Agriculture & Horticulture in the country and revalidate the cutting-edge technologies w.r.t precision farming practices by dovetailing with International Institutions, Plastic engineering organizations and supporting Government agencies.

IV. To encourage, identify and conduct applied research, demonstrations, extension & dissemination of user-friendly weather/ crop based agro-climatically differentiated technologies among end users in the field of precision farming, wastewater management and plastic engineering through Precision Farming Development Centre located in different parts of the country.

V. To conduct Impact Evaluation Studies and Agricultural Events on Precision agriculture with a view to collect & consolidate data on plastic engineering applications including agro-textiles by end users across the country for policy measures.

The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non- official members shall hold office during the pleasure of the Chairman. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The committee shall submit the report to the Government on annual basis.

The secretarial assistance required for the committee will be provided by Horticulture Technical Division and Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) Division of Department of Agriculture & Farmers Welfare. The Member Secretary will oversee the day-to-day activities and function as Chief Executive on the body.

The corresponding expenditure in respect of ex-officio member will be borne by their respective Departments.

Dr. PRABHAT KUMAR, Horticulture Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.05 17:10:51 +05'30'